विलो

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. / 2015 पुनरीक्षण

R-3621 II /2015

श्री मुकेश भार्गव एड. द्वारा आज दि. 30-10-15 को प्रस्तुत

30-10-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
30-10-15 एडवोकेट
ग्वालियर

कैलाश पुत्र बैजनाथ विश्वकर्मा (मृत) वारसान

1. श्रीमती केसर झा पत्नी स्व. श्री कैलाश नारायण

2. राजेश झां 3. राकेश झा

आत्मज स्व. श्री कैलाश नारायण

सभी निवासी ग्राम चकरपुर तह.ओरछा जिला टीकमगढ (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1) सुखलाल तनय भूरा अहिरवार (मृत) वारसान

1. श्रीमती कली अहिरवार उम्र 56 वर्ष पत्नी स्व. सुखलाल अहिरवार

2. कल्यान अहिरवार वल्द स्व. सुखलाल अहिरवार

3. रामरतन अहिरवार वल्द स्व. सुखलाल अहिरवार

सभी निवासी ग्राम चकरपुर तह.ओरछा जिला टीकमगढ (म.प्र.)

2. म.प्र. शासन .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

आवेदकगण न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय टीकमगढ के राजस्व प्रकराण कमांक 30बी/121 वर्ष 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2011 से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों पर निगरानी प्रस्तुत करते हैं –

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3621-दो/2015 जिला टीकमगढ़ कैलाश विरूद्ध सुखलाल व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 30/बी-121/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 18-07-2011 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-10-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

05/02/19

(आर.के. जैन)
सदस्य